

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2468]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937

No. 2468]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2015

का. आ. 3120 (अ).-दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.01.2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 278 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. सार्वजनिक अधिसूचना के उत्तर में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किये गए थे।
- 3. केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

4860 GI/2015 (1)

संशोधन:

जोन-जी में निम्नलिखित क्षेत्र् का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

क्र.सं.	क्षेत्र एवं स्थान	दि. मु. यो2021 के	भूमि उपयोग परिवर्तित	क्षेत्र की सीमाएं
		अनुसार भूमि उपयोग	निम्न में किया गया	
1.	मायापुरी, जोन-जी में पॉकेट-1 (680.70	"मनोरंजनात्मक (पी 2-	"परिवहन (टी 3 –	उत्तर: जिला पार्क
	वर्ग मीटर)	जिला पार्क) "	एम.आर.टी.एस.	दक्षिण: मायापुरी रोड
		,	परिचालन) "	पूर्व : रिंग रोड पश्चिम : जिला पार्क
2.	मायापुरी, जोन-जी में पॉकेट-2	"मनोरंजनात्मक (पी 2-	"परिवहन (टी 3 –	उत्तर : मायापुरी रोड
	(6560.10 वर्ग मीटर)	जिला पार्क) "	एम.आर.टी.एस. परिचालन) "	दक्षिण : डी.टी.सी. डिपो पूर्व : रिंग रोड पश्चिम : जिला पार्क

[फा. सं. के-13011/3/2015-डीडी-I] आर. के. वार्ष्णेय. अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2015

- **S.O. 3120** (E).—Certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 278(E) dated 29.01.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice.
- 2. No objection/suggestion was received in response to the Public Notice.
- 3. The Central Government have, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area in Zone G is changed as per the description listed below:

S.No.	Area & location	Land use as per	Land use changed to	Boundaries of the area	
		MPD-2021			
1.	Pkt. 1	'Recreational	'Transportation	North:	District Park
	(680.70 sqm) at	(P2-District Park)'	(T3-MRTS Circulation)'	South:	Mayapuri Road
	Mayapuri, Zone G.			East:	Ring Road
				West:	District Park
2.	Pkt. 2	'Recreational	'Transportation	North:	Mayapuri Road
	(6560.10 sqm) at at	(P2-District Park)'	(T3-MRTS Circulation)'	South:	DTC Depot
	Mayapuri, Zone G			East:	Ring Road
				West:	District Park

[F.No. K-13011/3/2015-DD-I]